न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 103/14 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2014/00075

उनवान

सदन सिंह पुत्र श्री रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम गुनसारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. थान सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति जाट निवासी ग्राम गुनसारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट।

2. धर्म सिंह पुत्र श्री घूडे सिंह जाति जाट निवासी ग्राम गुनसारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर दिनांक 03.10.2012 सपठित आदेश दिनांक 11.09.2014 उनवानी थान सिंह बनाम धर्म सिंह मु0न0 145/12

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 29.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के आदेश दिनांक 03.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 49 रकवा 6.73 है0 वाके गुनसारा द्वितीय में स्थित है जो कि सायल एवं गैरसायल की पैत्रिक आराजी है। चूंकि सायल गैरसायल का सहदायक है। इसलिये उक्त समस्त आराजी जो गैरसायल के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज है में 1/2

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहा है और इसी प्रकार उक्त पैतृक आराजी में से अपने आपको गैरसायल के नाम दर्ज आराजी 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है। अतः मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये रैस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के तहत पेश की गयी है।

2. प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित आराजी में से अपीलाण्ट द्वारा तरतीवी रैस्पो0 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2013 से क्रय किया है। इसलिये विवादित आराजी में अपीलाण्ट का हित निहित है और उसके अधिकार भी प्रभावित होते हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट व्यथित पक्षकार है। हमने गौर किया। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी तरतीवी रैस्पो0 से क्रय की है। अतः अपीलाण्ट के अपीलाधीन आदेश से हित प्रभावित होते हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मात्र कयासो के आधार पर बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के पारित किया है। असल रैस्पो0 अपने आपको तरतीवी रैस्पो0 का पुत्र होना बताया है जबकि अपने दावा एवं प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि असल रैस्पो0, तरतीवी रैस्पो0 के साथ पुत्र की भांति ही रह रहा है और तरतीवी रैस्पो0 की असल रैस्पो0 को पिता के रूप में मानता है और समस्त ग्रामवासी एवं समाज के सभी व्यक्ति भी असल रैस्पो0 को तरतीवी रैस्पो0 के पुत्र के रूप में ही मानते हैं। इससे साफ साबित है कि असल रैस्पो0, तरतीवी रैस्पो0 के पुत्र नहीं है। लेकिन पुत्र बनकर तरतीवी रैस्पो0 की आराजी को हडपना चाहता है। जबकि वह विजय सिंह का पुत्र है। असल रैस्पो0, तरतीवी रैस्पो0 का पुत्र नहीं है जब पुत्र नहीं है तो उसको उसकी आराजी में उसके जीवनकाल में और ना ही मृत्यु उपरांत कोई अधिकार प्राप्त होते हैं। तरतीवी रैस्पो0 विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। विवादित आराजी में उसका 1/5 हिस्सा है और 1/5 हिस्सा का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। असल रैस्पो0 से अपीलाण्ट द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिफल राशि देकर क्रय किया है। अतः अपीलाण्ट सद्भावी क्रेता है व मौके पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश का आज तक कोई अन्तिम तौर पर निस्तारण नहीं किया जबकि कानूनन स्थगन के प्रार्थना पत्र को अधिकतम 3 माह में किया जाना आवश्यक है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

5. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी दौराने दावा क्रय की है। अतः अपीलाण्ट अजनबी क्रेता है एवं उसे अपील करने का भी कोई अधिकार हासिल नहीं है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। विधि अनुसार ऐसे आदेश की अपील चलने योग्य नहीं रहती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.10.2012 को प्रकरण में एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है। तत्पश्चात पत्रावली किसी जीतेश पुत्र श्री साहब सिंह जाति जाट निवासी गुनसारा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली जाकर विवादित आराजी में विरासत की कार्यवाही कराने हेतु स्थगन आदेश में छूट दी गयी है। इसी प्रकार पेशी दिनांक 28.05.2018 से किसी अन्य व्यक्ति ऐंदल पुत्र यादराम को, जो प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं है, को स्थगन आदेश से मुक्त किया गया है एवं पेशी दिनांक 18.09.2018 को प्रार्थी बलवीर पुत्र हरी सिंह को केसीसी की छूट प्रदान की गयी है। उक्त तीनों ही व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं थे। हस्तगत अपील के माध्यम से भी अपीलाण्ट द्वारा जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं था, अपने खातेदारी की आराजी बाबत् अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में सायल थान सिंह द्वारा केवल मात्र धर्म सिंह को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये अनुतोष चाहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण खाते पर स्थगन आदेश जारी कर दिया एवं बीच–बीच में सहखातेदारो द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें स्थगन से छूट प्रदान की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह सायल के नोशनल शेयर तक स्थगन आदेश जारी करते। इस प्रकार वाद बहुलयता बढाना तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अभी तक अन्तिम तौर पर निस्तारण नहीं किया। जबकि धारा 212 आर. टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र को आदेश 39 नियम 3–ए सीपीसी के सुसंगत प्रावधानों के अनुसरण में 30 दिवस के अंदर निस्तारित करना आवश्यक होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2012 खसरा नम्बर 3619, 4495, 4497, 3618, 3645, 3738, 3742, 4487, 4542, 4543, 3622, 4548 किता 12 रकबा 2.40 है0 तक निरस्त किया जाता है। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, आदेश 39 नियम 3–ए सीपीसी के सुसंगत प्रावधानों के अनुसरण में 30 दिवस में विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.10.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल

शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29.09.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर